UPJB010000662024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी–विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{JOCODE–UP2012}

सत्र परीक्षण संख्या–16/2024

उत्तर प्रदेश राज्य..**अभियोगी।**

।। बनाम ।।

01. **मुस्तफा** पुत्र मुजफ्फर, निवासी ग्राम भीकनपुर कुलवाड़ा, थाना कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद।

02. **शहादत** पुत्र भूरे, निवासी मौहल्ला इस्लाम नगर निकट भूरी मस्जिद, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद।

....**अभियुक्तगण।**

मुकदमा अपराध संख्या–214/2022
धारा–379, 411, 413, 414 व 506
भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–डिडौली, जिला अमरोहा।

घटना का दिनांक	01.06.2022
प्राथमिकी का दिनांक	02.06.2022
संज्ञान का दिनांक	17.06.2023
सुपुर्दगी का दिनांक	03.01.2024
आरोप विरचित किये जाने का दिनांक	19.03.2024
बहस पूर्ण होने का दिनांक	27.06.2026
निर्णय का दिनांक	30.06.2026

राज्य की ओर से– श्री महावीर सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)
अभियुक्तगण की ओर से–श्री निजाम मौहम्मद तुर्क, एडवोकेट

।। निर्णय ।।

उपरोक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण मुस्तफा एवं शहादत का विचारण पुलिस थाना डिडौली, जिला अमरोहा की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–214/2022 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर धारा–379, 411, 413, 414 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों के लिए इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.30 16:19:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मौ0 शावेज **(पी.डब्ल्यू.1)** के द्वारा एक लिखित तहरीर **(प्रदर्श क–1)** दिनांक 02.06.2022 को पुलिस थाना डिडौली में इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 01.06.2022 की रात समय करीब 11:45 बजे वह अपने घर की छत के ऊपर टहल रहा था, तभी उसने हाईवे पर चलने वाले वाहनों की रोशनी में देखा कि नीचे गली में खड़े अपने छोटा हाथी नम्बर–यू0पी0 23टी–8564 के पास एक वैन (Eeco) खड़ी थी तथा उसमें से एक व्यक्ति बैट्रा खोलकर पास खड़ी गाड़ी में रख रहा था। उसने नीचे आकर यह बात अपने पिता मौ0 असलम एवं पड़ौसी आदिल आदि को बतायी तथा उन्होंने बैट्री चोरी करते हुये शहादत पुत्र भूरे, निवासी मौहल्ला इस्लामनगर, निकट भूरी मस्जिद, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद को रंगे हाथो समय करीब 11:55 बजे रात्रि में पकड़ लिया तथा ईको गाड़ी में बैठा उसका दूसरा साथी मौका पाकर भाग निकला, जिसका नाम पूछने पर मुस्तफा पुत्र नमालूम, निवासी कुलवाड़ा, थाना कुन्दरकी मुरादाबाद बताया। पकड़े हुये शहादत की तलाशी में उसकी पैंट में एक तमंचा व दो कारतूस 315 बोर उसके पास से मिले। इसके अलावा ईको गाड़ी में रखे हुये दो बड़े बैट्रे हरे रंग के Exzone लिखे हुये व तीन छोटी बैट्री Excide, Mrone, Power Zone लिखा है। पास खड़ी ईको गाड़ी में एक बैल्डिंग मशीन, एक छोटा कटर, एक आरी, एक हथौड़ा, एक प्लास, एक छोटा कटर, एक ड्रिल मशीन, आठ ब्लेड कटर, 20 बैल्डिंग रॉड, कुल 05 चाबी–पाने व एक बड़ा जैक तथा एक छोटा मोबाईल फोन नं0–8265879120 रंग सफेद मिले। मौके पर एक चोर को चोरी करते हुये पकड़ लेने व एक चोर के बचकर भाग जाने के कारण शोर–शराबा सुनकर वह व आसपास के काफी मौहल्ले वाले मौके पर आ गये। पकड़े हुये व्यक्ति शहादत के छूटकर भागने तथा उसके द्वारा धमकी दिये जाने पर उत्तेजित होकर पब्लिक के व्यक्तियों ने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट कर दी, जिसकी सूचना उसने 112 नम्बर पर दी। पकड़े हुये शहादत ने ईको वैन को भी नन्द नगरी, दिल्ली से चोरी करना बताया तथा उसे गाड़ी, चोरी किये हुये वादी के बैट्रे, अन्य बैट्रों, बरामद सामान व तमंचा–कारतूस सहित थाने लेकर आये।

3– वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस थाना डिडौली, जिला अमरोहा में कां0 नवीन कुमार (पी.डब्ल्यू.3) द्वारा दिनांक **02.06.2022** को समय 2:45 बजे मुकदमा अपराध संख्या–**214/2022**, अंतर्गत धारा 379, 411, 506 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्तगण शहादत व मुस्तफा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया और चिक एफ.आई.आर.**(प्रदर्श क–2)** अंकित की गयी, जिसका खुलासा उसी दिन थाने की जी.डी. कायमी संख्या–4 समय 2:45 **(प्रदर्श क–3)** बजे में किया गया है।

4– उपरोक्त मुकदमा कायम होने के पश्चात उपनिरीक्षक विकास कुमार (पी.डब्ल्यू.6) के द्वारा मामले की विवेचना की गयी। विवेचनाधिकारी द्वारा घटना स्थल निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया।

दिनांक 02.06.2022 को वादी मुकदमा मौ0 शावेज, मौ0 आदिल, मौ0 असलम व मौ0 असजद मय अभियुक्त शहादत तथा मय सामान एक अदद तमंचा, दो जिंदा कारतूस 315 बोर, एक बैट्री एमरॉन कम्पनी, चोरी की तीन अन्य छोटी व दो बड़ी बैट्री, एक छोटी बैल्डिंग मशीन, 20 बैल्डिंग रॉड, एक छोटा कटर, एक आरी, एक हथौड़ा, एक प्लास, एक बड़ा जैक, एक ड्रिल मशीन, आठ ब्लेड कटर व ईको वैन नं0–डी.एल. 2सी.ए.टी. 8877 के साथ थाने उपस्थित आये तथा अभियुक्त शहादत के द्वारा अपने छोटा हाथी गाड़ी संख्या– यू0पी0 23टी–8564 से बैट्रा चोरी करते हुये पकड़े जाने की बात बताते हुये कहा कि उसका साथी मौ0 मुस्तफा मौका पाकर भागने में सफल हो गया, जिसके साथ

मिलकर सड़क पर खड़े वाहनों से चोरी करना कहा है। बरामद तमंचा–कारतूस को सील सर्वमोहर किया गया, बरामद बैट्रे की चिटबन्दी की गयी तथा अन्य सामान को कटटे में रखकर सील सर्वमोहर किया गया। अभियुक्त ने ईको गाड़ी को दिल्ली से चोरी करना बताया है, जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द गिरफतारी व अन्य प्रपत्र तैयार किये गये। फर्द की एक कार्बन प्रति अभियुक्त को दी गयी।

विवेचना में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण शहादत व मुस्तफा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के द्वारा मामले में प्रेषित आरोप पत्रों पर दिनांक 01.03.2024 को संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये और उन्हें अभियोजन दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गयीं। अभियुक्तगण का प्रकरण आदेश दिनांकित 03.01.2024 के द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया है।

6– सत्र न्यायालय में अभियुक्तगण उपस्थित आये तथा न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.03.2024 के द्वारा अभियुक्त शहादत के विरूद्ध धारा 379, 411, 413, 414 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त मुस्तफा के विरूद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित किये गये तथा उन्हें उक्त आरोप पढ़कर सुनाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में मामले के समर्थन में **निम्नलिखित साक्षीगण** प्रस्तुत किये गये हैं:–

01	मौ0 शावेज	वादी मुकदमा	पी.डब्ल्यू.1
02	मौहम्मद असलम	तथ्य का साक्षी	पी.डब्ल्यू.2
03	कां0 नवीन कुमार	एफ.आई.आर. लेखक	पी.डब्ल्यू.3
04	डॉ0 जितेन्द्र सिंह	चिकित्सक	पी.डब्ल्यू.4
05	हेड कां0 देवेन्द्र सिंह	बरामदगी का साक्षी	पी.डब्ल्यू.5
06	उपनिरीक्षक विकास कुमार	विवेचक	पी.डब्ल्यू.6

8– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित प्रलेख साबित कराये गये हैं:–

क्र0सं0	प्रलेखों का विवरण	साबित करने वाला साक्षी	प्रदर्श संख्या
01	तहरीर	पी.डब्ल्यू.1	प्रदर्श–क 01
02	चिक एफ.आई.आर.	पी.डब्ल्यू.3	प्रदर्श–क 02
03	जी.डी. कायमी	पी.डब्ल्यू.3	प्रदर्श–क 03
04	चिकित्सीय आख्या	पी.डब्ल्यू.4	प्रदर्श–क 04
05	फर्द गिरफतारी व बरामदगी	पी.डब्ल्यू.5	प्रदर्श–क 05

06	नक्शा नजरी	पी.डब्ल्यू.6	प्रदर्श–क 06
07	आरोपपत्र	पी.डब्ल्यू.6	प्रदर्श–क 07

9– मामले में अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज** को प्रस्तुत किया गया है। यह साक्षी वादी मुकदमा है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये कथन किया गया है कि दिनांक 01.06.2022 की रात्रि 11:45 बजे अपने घर की छत के ऊपर टहल रहा था, तभी उसने हाईवे पर चलने वाले वाहनों की रोशनी में देखा कि गली में खड़े छोटा हाथी नं0–यू0पी0 23 टी– 8564 के पास एक वैन ईको से एक व्यक्ति उतरकर उनके छोटा हाथी का बैट्रा खोलकर अपनी ईको गाड़ी में रख रहा था। यह बात उसने अपने पिता असलम व पड़ौसी आदिल को बतायी व उन्होंने बैट्री चोरी करते व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसने अपना नाम शहादत बताया व गाड़ी में बैठा दूसरा साथी मौका पाकर भाग निकला। पूछने पर बताया कि उसका नाम मुस्तफा है। पकड़े गये व्यक्ति शहादत की तलाशी में पैंट में घुरसा हुआ तमंचा व दो कारतूस 315 बोर मिले तथा ईको गाड़ी से दो बड़े बैट्रे, तीन छोटी बैट्री, एक बैल्डिंग मशीन, एक छोटा कटर, आरी, हथौड़ा, प्लास, एक ड्रिल मशीन, 08 ब्लेड, बेल्डिंग रोड, 05 चाबियां, एक बड़ा ब्लेड व एक छोटा मोबाईल नम्बर–8265879120 बरामद हुये। पकड़ा हुआ व्यक्ति शहादत ईको वैन को भी नन्द नगरी दिल्ली से चोरी करना बता रहा था। उसके बाद वे लोग गाड़ी व चोरी किये हुये सामान, तमंचा, कारतूस सहित अभियुक्त को थाने लेकर आ गये तथा मुकदमे की तहरीर थाने पर दी। तहरीर असजद से लिखवाई थी। तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुये **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया गया।

10– **पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम** भी अभियुक्त शहादत को उनके छोटा हाथी से कथित बैट्री चोरी करते रंगेहाथ पकड़ने, उससे बरामदगी होने व सह–अभियुक्त मुस्तफा के मौके से भाग जाने का साक्षी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज के समान कथन किये है।

11– **पी.डब्ल्यू.3 कां0 नवीन कुमार** औपचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा मामले की चिक एफ.आई. आर.व इसके खुलासे की जी.डी. कायमी तैयार की गयी है, जिन्हें क्रमशः **प्रदर्श क–2** व **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया गया है।

12– **पी.डब्ल्यू.4 डॉ0 जितेन्द्र सिंह** के द्वारा अभियुक्त शहादत की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण करके अपने द्वारा तैयार की गयी चिकित्सीय आख्या को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया गया है।

13– **पी.डब्ल्यू.5 हेड कां0 देवेन्द्र सिंह,** अभियुक्त शहादत की गिरफतारी एवं उसके कब्जे से हुई तमंचा–कारतूस, ईको गाड़ी व अन्य सामान बरामदगी का साक्षी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त फर्द बरामदगी एवं गिरफतारी को **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है तथा अभियुक्त शहादत के कब्जे से बरामद तमंचा–कारतूस के कपड़े को **वस्तु प्रदर्श–1**, तमंचे को **वस्तु प्रदर्श–2**, जिंदा कारतूसों को **वस्तु प्रदर्श–3 व 4**, बैट्रे को **वस्तु प्रदर्श–5**, दूसरे पुलिंदे से निकले कटटे को **वस्तु प्रदर्श–6**, बैल्डिंग मशीन को **वस्तु प्रदर्श–7**, बीस बैल्डिंग रॉडों को **वस्तु प्रदर्श–8**, छोटे कटर को **वस्तु प्रदर्श–9**, आरी को **वस्तु प्रदर्श–10**, हथौड़े को **वस्तु प्रदर्श–11**, प्लास को **वस्तु प्रदर्श–12**, जैक को **वस्तु प्रदर्श–**

13, ड्रिल मशीन को **वस्तु प्रदर्श–14** व आठ ब्लेड कटर को **वस्तु प्रदर्श–15** के रूप में साबित किया है।

14– **पी.डब्ल्यू.6 उपनिरीक्षक विकास कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जोकि एक औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी के द्वारा मामले की विवेचना की गयी है तथा विवेचना के दौरान तैयार किये गये नक्शा नजरी को **प्रदर्श क–6** व अभियुक्तगण शहादत व मुस्तफा के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र को **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया है।

15– अभियुक्तगण **मुस्तफा** व **शहादत** के बयान अंतर्गत **धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** दिनांक 25.05.2026 को दर्ज किये गये। अभियुक्तगण द्वारा कहा गया कि अभियोजन कथानक गलत है तथा उनपर झूठे आरोप लगाये गये हैं। अभियुक्त शहादत से कोई बरामदगी नहीं हुई है। पी.डब्ल्यू.1 व पी.डब्ल्यू.2 ने गलत साक्ष्य दिया है। पी.डब्ल्यू.1 ने रंजिशन तहरीर में नाम लिखा है व तहरीर को गलत साबित किया है। पी.डब्ल्यू.3 ने एफ.आई.आर. व जी.डी. गलत तथ्यों व झूठी तहरीर पर दर्ज की गयी है। पी.डब्ल्यू.5 ने झूठा साक्ष्य दिया है तथा अभियुक्त शहादत से फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है, जिसे पी. डब्ल्यू.5 ने गलत साबित किया है। पी.डब्ल्यू.6 ने गलत विवेचना कर झूठा आरोपपत्र प्रेषित किया है। उनके विरूद्ध मुकदमा रंजिश की बिना पर चला है। अतिरिक्त रूप से कहा है कि वे लोग निर्दोष हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

17– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क रखा गया कि पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज के साक्ष्य के अनुसार दिनांक 01.06.2022 को रात्रि लगभग 11:45 बजे उसके द्वारा अभियुक्त शहादत को अपने छोटा हाथी से बैट्री निकालकर ईको गाड़ी में रखे देखा गया है, तब इस साक्षी द्वारा अपने पिता मौ0 असलम व पड़ौसी आदिल की मदद से बैट्री चोरी करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। गाड़ी में बैठा दूसरा साथी अभियुक्त मुस्तफा मौके से फरार हो गया। उक्त ईको गाड़ी में अन्य चोरी काफी सामान भी बरामद हुआ। पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम ने अपने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 के साक्ष्य का समर्थन किया है तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। पी.डब्ल्यू.4 डॉ0 जितेन्द्र सिंह द्वारा घटना के समय अभियुक्त शहादत को आयी चोटों को साबित किया गया है। पी.डब्ल्यू.5 हेड कां0 देवेन्द्र सिंह द्वारा मामले में बरामद सामान को न्यायालय में साबित किया गया है तथा पी.डब्ल्यू.6 उपनिरीक्षक विकास कुमार द्वारा मामले की विवेचना कर आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी विवेचना को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित है।

उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को मामले में दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

18– बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि अभियोजन साक्ष्य के अनुसार दिनांक 01.06.2022 को रात्रि लगभग 11:55 बजे वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त शहादत को बैट्री चोरी करते हुये पकड़ा गया है। इस साक्षी के द्वारा रात्रि 11:45 बजे अपने घर की छत से अभियुक्त शहादत को ईको गाड़ी में अपने छोटा हाथी से बैट्री

चोरी कर ईको गाड़ी में रखते हुये देखा गया है। इस साक्षी के साक्ष्य में यह भी आया है कि ईको गाड़ी में बैठा दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। इस सम्बन्ध में तर्क रखा गया है कि वादी मुकदमा को चोरी करते हुये देखने व अभियुक्त शहादत को पकड़ने में दस मिनट का समय लगा है, ऐसी स्थिति में सामान्यतः गाड़ी में बैठा दूसरा व्यक्ति गाड़ी को अवश्य ही स्टार्ट रखता तथा बैट्रा रखते ही तुरन्त मौके से चोरी करके भाग जाता, परन्तु वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त शहादत को पकड़े जाने के बाद अभियुक्त मुस्तफा का पैदल भागना अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि मामले की तहरीर प्रदर्श क–1 वादी मुकदमा के साले द्वारा लिखी गयी है, जबकि रात्रि 11:55 पर अभियुक्त शहादत के पकड़े जाने के समय वादी मुकदमा के साले असजद घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे। पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम के साक्ष्य के अनुसार आदिल का मकान इस साक्षी के घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था, जिसे वादी मुकदमा द्वारा फोन करके बुलाया गया था। ऐसी स्थिति में 11:55 बजे अभियुक्त शहादत को पकड़ते समय घटना स्थल पर आदिल का उपस्थित होना संभव नहीं था। फर्द बरामदगी की प्रति अभियुक्त को नहीं दी गयी है। पी.डब्ल्यू.5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि बरामद सामान बाजार में आसानी से मिल जाता है। जिस बोरी में सामान सील किया था, वह आज न्यायालय में क्षतिग्रस्त अवस्था में खुली हुई पेश हुई है। बैट्री व अन्य सामान पर लगी चिटबन्दी फटी हुई हालत में है। पी.डब्ल्यू.6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि कथित बरामद ईको वैन की चोरी की सम्बन्ध में किस थाने पर, किसके खिलाफ एफ.आई.आर. हुई थी, उसे याद नहीं है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त मुस्तफा के खिलाफ केवल वादी मुकदमा द्वारा एक व्यक्ति के भागने तथा तहरीर में नामजद होने के कारण आरोपपत्र प्रेषित किया गया था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

19– वर्तमान प्रकरण में अभियोजन को यह साबित करना है कि दिनांक 01.06.2022 को समय रात्रि 11:45 बजे स्थान ग्राम ढकिया चमन, थाना डिडौली, जिला अमरोहा के अंतर्गत अभियुक्तगण ने मिलकर वादी मुकदमा मौ0 शावेज के छोटा हाथी संख्या–यू0 पी0 23 टी–8564 की बैट्री खोलकर चोरी की तथा अभियुक्त शहादत के कब्जे से चोरी एक बैट्री, तीन छोटी व दो बड़ी बैट्री, अन्य सामान एक छोटी बेल्डिंग मशीन, 20 बेल्डिंग रॉड, एक छोटा कटर, एक आरी, एक हथौड़ा, एक प्लास, एक बड़ा जैक, एक ड्रिल मशीन, आठ ब्लेड व एक चोरी की ईको वैन संख्या–डी.एल. 02 सी एटी 8877 बरामद हुई एवं बरामद बैट्रों व ईको कार को चोरी का होना जानते हुये उन्हें अभ्यास्तः प्राप्त किया, छिपाया या व्ययनित करे का प्रयास किया व वादी तथा मौहल्ले के लोगों को जान से मारने की धमकी दी।

20– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत **पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज** की मुख्य परीक्षा के साक्ष्य के अनुसार दिनांक 01.06.2022 की रात्रि 11:45 बजे उसने अपने घर की छत से वाहनों की रोशनी में एक व्यक्ति को अपने छोटा हाथी संख्या–यू0 पी0 23 टी– 8564 का बैट्रा खोलकर ईको गाड़ी में रखते हुये देखने पर यह बात अपने पिता असलम व पड़ौसी आदिल को बतायी तथा उस व्यक्ति को बैट्री चोरी करते पकड़ लिया। उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम शहादत बताया गया। गाड़ी में बैठा दूसरा साथी मुस्तफा मौका पाकर भाग गया। पकड़े व्यक्ति शहादत की तलाशी में पैंट में घुरसा हुआ तमंचा व दो कारतूस 315 बोर तथा ईको

गाड़ी से दो बड़े बैट्रे, तीन छोटी बैट्री, एक बेल्डिंग मशीन, एक छोटा कटर, आरी, हथौड़ा, प्लास, एक ड्रिल मशीन, 08 ब्लेड, बेल्डिंग रोड, 05 चाबियां, एक बड़ा ब्लेड व एक छोटा मोबाईल नम्बर–8265879120 बरामद हुये हैं। उसके बाद पकड़े व्यक्ति को कार व चोरी किये हुये सामान, तमंचा, कारतूस आदि सहित थाने लाकर मामले की तहरीर थाने पर दी।

इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में आया है कि तहरीर उसके साले असजद ने थाने पर बैठकर लिखी थी। तहरीर उसके साले ने उसके कहने पर थाने पर बैठकर लिखी थी। थाने असजद व एक दोस्त के साथ गये थे। उसने एक ही आदमी को बैट्री खोलकर रखते हुये देखा था तथा दूसरा आदमी गाड़ी में बैठा था। मौके से एक व्यक्ति को पकड़ लिया था, दूसरा भागने में सफल रहा था। यह ध्यान नहीं है कि कितनी दूरी पर जाकर पकड़ा था। अभियुक्तगण जोया की तरफ से चौधरपुर की तरफ भागे थे। उसने 112 नम्बर पर सूचना दी थी। पुलिस 5 से 10 मिनट के अन्दर आ गयी थी। मौके पर बरामद वैन व सभी सामान को पुलिस वाले थाने पर ले गये थे।

21– यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह गाड़ी, चोरी का सामान, तमंचा–कारतूस व अभियुक्त को लेकर थाने गये थे व थाने पर तहरीर दी थी, जबकि इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह कहा गया है कि 112 नम्बर पर सूचना देने के बाद 05–10 मिनट में पुलिस आ गयी थी तथा मौके से वैन व सभी सामान पुलिस वाले थाने लेकर गये थे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा के इस साक्ष्य में भारी विरोधाभास है कि इस घटना के बाद वादी मुकदमा स्वयं अभियुक्त व बरामद सामान को लेकर सम्बन्धित थाने गया था या पुलिस घटना स्थल पर आ गयी थी तथा पुलिस द्वारा बरामद सामान व मुल्जिम को थाने ले जाया गया।

22– पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि थाने पर पुलिस ने उसके सामने पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी ली थी, जबकि अपनी मुख्य परीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि उसने स्वयं घटना स्थल पर पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी ली थी, जिसमें तमंचा–कारतूस आदि पकड़े गये व्यक्ति से बरामद हुये थे। इस सम्बन्ध में भी इस साक्षी का साक्ष्य विरोधाभासी है।

23– पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम ने अपनी मुख्य परीक्षा में पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज के कथनों का समर्थन किया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में आया है कि जो गाड़ी घटना वाले दिन पकड़ी गयी, उसका नम्बर उसे याद नहीं है। एक आदमी पकड़ा था, जो बैट्री खोल रहा था। इसके अलावा एक आदमी मुस्तफा पकड़ा गया था। उस समय रात्रि के लगभग 11:45 बजे थे। मौके पर भीड़ इकटठा नहीं हुई थी। मौके पर केवल उसका लड़का शावेज व आदिल थे। उसका मकान जंगल में है, बाकी वहाँ दुकाने हैं। आबादी न होने के कारण मौके पर कोई नहीं आया था।

यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना के समय मौके पर एक चोर के चोरी करते पकड़ लेने व एक चोर के बचकर भाग जाने के कारण शोर–शराबा सुनकर आसपास के लोग आ गये। पकड़े गये व्यक्ति ने छुटकर भागने का प्रयास किया तथा धमकी दिये जाने पर मौके पर उपस्थित भीड़ उत्तेजित हो गयी और भीड़ ने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की। पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज के उपरोक्त साक्ष्य का समर्थन पी.डब्ल्यू.2 असलम के प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त साक्ष्य से नहीं होता है। पी.डब्ल्यू.1 के अनुसार अभियुक्त शहादत के मौके से भागने के प्रयास में उत्तेजित भीड़ के द्वारा अभियुक्त शहादत के साथ मारपीट की गयी थी, जबकि पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम के

साक्ष्य के अनुसार मौके पर भीड़ इकटठा नहीं थी तथा मौके पर मात्र उसका लड़का शावेज व आदिल ही उपस्थित थे। यह दोनों साक्षी आपस में पिता –पुत्र हैं तथा घटना के महत्वपूर्ण तथ्य के सम्बन्ध में इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। यह विरोधाभास अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

24– पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम की प्रतिपरीक्षा में यह भी आया है कि आदिल का मकान उसके घर से लगभग 25 किलोमीटर छोटे रास्ते पर है। शावेज ने आदिल को फोन करके बुलाया था।

पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज के साक्ष्य के अनुसार उसने घटना के समय जब अभियुक्त को अपनी गाड़ी से बैट्री चुराते हुये देखा, तो इस बात की जानकारी अपनी पिता असलम व पड़ौसी आदिल को दी, जबकि पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम की प्रतिपरीक्षा के अनुसार आदिल का मकान उसके घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर की दूरी से किसी व्यक्ति का मात्र 10 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच पाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। अभियोजन की ओर से पड़ौसी आदिल को साक्ष्य में प्रस्तुत भी नहीं किया गया है, जिससे उसकी स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। यह साक्षी स्वतंत्र साक्षी होने के कारण मामले में महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था। उपरोक्त स्थिति में घटना के समय पड़ौसी आदिल की घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है।

25– पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम की प्रतिपरीक्षा में यह भी आया है कि पुलिस ने शहादत की तलाशी उसके सामने ली थी, जिस पर एक तमंचा व एक मोबाईल मिला था। इसके अलावा शहादत के पास से कुछ नहीं मिला।

इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज की मुख्य परीक्षा में आया है कि पकड़े गये व्यक्ति शहादत की तलाशी लेने पर उसके पैंट से एक तमंचा व दो कारतूस 315 बोर मिले थे। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि पी.डब्ल्यू.2 के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त शहादत की तलाशी पुलिस के द्वारा ली गयी थी, जबकि पी.डब्ल्यू.1 शावेज व मामले की तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्त शहादत की तलाशी मौके पर ही वादी मुकदमा के द्वारा ली गयी थी। पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त शहादत से तलाशी के समय कोई कारतूस बरामद होने का कथन नहीं किया गया। उपरोक्त स्थिति में पी.डब्ल्यू.1 व पी. डब्ल्यू.2 के साक्ष्य में इस सम्बन्ध में भारी विसंगति है।

26– पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम की प्रतिपरीक्षा में यह भी आया है कि शहादत के अलावा मुकदमे में गिरफतार किये गये व्यक्ति की उससे कोई पहचान नहीं करायी। पी .डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज के साक्ष्य व प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्त मुस्तफा, जो घटना के समय गाड़ी में बैठा था, मौका देखते ही घटना स्थल फरार हो गया, जिसका नाम घटना के समय पकड़े गये अभियुक्त शहादत के द्वारा बताया गया। अतः यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा, अभियुक्त मुस्तफा को घटना के पूर्व से नहीं जानता था। पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट कहा है कि अभियुक्त मुस्तफा की उससे कोई पहचान नहीं करायी गयी। पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज ने अपने साक्ष्य में भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त मुस्तफा के सम्बन्ध में कोई शिनाख्त परेड पुलिस द्वारा करायी गयी हो, जिसमें अभियुक्त मुस्तफा की पहचान कर यह बताया हो कि यह वही व्यक्ति है, जो घटना के समय घटना स्थल से फरार हो गया था। अतः अभियुक्त मुस्तफा की मामले में घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थिति व घटना में संलिप्तता पर्याप्त रूप से साबित नहीं होती है।

27– पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम की प्रतिपरीक्षा में यह भी आया है कि उसे अभी तक चोरी हुई बैट्री नहीं मिली है। पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि चोरी गयी बैट्री नहीं मिली है, वह थाने पर है।

यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज व पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम तथा मामले की तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा की चोरी गयी बैट्री का कोई विवरण नहीं दिया गया है। उपरोक्त के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि वादी मुकदमा की गाड़ी से कौन से बैट्री चोरी गयी थी। प्रदर्श क–1 के अनुसार मौके पर खड़ी ईको गाड़ी में दो बड़े बैट्रे हरे रंग के जिन पर एक्सजोन लिखा था व तीन छोटी बैट्री जिन पर एक्साईड, एमरॉन व पावरजोन लिखा था, पहले से रखी थीं। मामले की तहरीर प्रदर्श क–1 में चुरायी गयी बैट्री का विवरण भी कहीं नहीं दिया गया है।

इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.5 हेड कां0 देवेन्द्र सिंह द्वारा घटना में बरामद सामान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साक्ष्य दिया गया है कि एक चिट बन्दी बैट्रा एमरॉन कम्पनी जिस पर उसके, गवाहान, अभियुक्त के हस्ताक्षर बने हैं, पेश किया, जिसे देखकर इस साक्षी ने कहा कि यह बरामद बैट्रों में से बचा हुआ एक बैट्रा है, जो अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ था, जिसे वस्तु प्रदर्श–5 के रूप में साबित किया गया है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान अन्य शेष बैट्रियों के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। न्यायालय में प्रस्तुत बैट्री एमरॉन मर्का की है, जबकि प्रदर्श क–1 के अनुसार एमरॉन बैट्री पहले से ईको में रखी थी। उक्त से यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायालय में प्रस्तुत बैट्री ही वादी मुकदमा की गाड़ी से चुराया गया बैट्री है।

28– यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि वादी मुकदमा द्वारा उसकी गाड़ी से चोरी गये बैट्रे को किस कारण अवमुक्त नहीं कराया गया, यह तथ्य भी वादी मुकदमा द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर वादी मुकदमा के छोटा हाथी का पंजीयन प्रमाणपत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण यह स्पष्ट नहीं है कि वादी वास्तव में किसी छोटा हाथी वाहन का स्वामी है।

29– पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि तहरीर उसके साले असजद ने लिखी थी। तहरीर थाने पर बैठकर लिखी थी। मामले की तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उस पर तहरीर लेखक का नाम असजद बिन कमर अंकित किया गया है। अभियोजन की ओर से उक्त असजद को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि असजद कथित घटना वाले दिन सुबह ही अपनी बहन से मिलने आये थे। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार तहरीर लेखक असजद घटना वाले दिन सुबह वादी मुकमा मौ0 शावेज के घर आये थे। इस साक्षी की मुख्य परीक्षा के अनुसार अभियुक्त शहादत को पकड़ते समय यह साक्षी, उसके पिता मौ0 असलम व उसके पड़ौसी आदिल थे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि यदि मौ0 शावेज के साले असजद घटना वाले दिन वादी मुकदमा के मकान पर ही रूके हुये थे, तब अभियुक्त शहादत को पकड़ते समय वह घटना स्थल पर क्यों उपस्थित नहीं थे, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण पी.डब्ल्यू.1 शावेज व पी.डब्ल्यू.2 असलम की ओर से नहीं दिया गया है।

30– पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज की मुख्य परीक्षा में उसके छोटा हाथी संख्या–यू0पी0 23 टी–8564 घटना के समय गली में खड़ा था, उसमें से मौ0 शावेज ने अभियुक्त शहादत को घटना की रात बैट्री निकालते हुये देखा था। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रश्नगत ईको गाड़ी में रखे हुये अन्य बड़े व छोटे बैट्रे, बैल्डिंग मशीन, कटर आदि सामान का वर्णन किया है। उक्त छोटी बड़ी बैट्रियों के रंग व मार्का का भी वर्णन किया गया है परन्तु अपने छोटे हाथी से अभियुक्त शहादत द्वारा चुरायी गयी बैट्री की पहचान के सम्बन्ध में कोई रंग, मार्का या अन्य कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहरीर प्रदर्श क–1 में भी चोरी गये बैट्रे की विशिष्टियों के सम्बन्ध में कोई वर्णन नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.5 हेड कां0 देवेन्द्र सिंह के साक्ष्य के अनुसार एक चिट बन्दी बैट्रा एमरॉन कम्पनी वस्तु प्रदर्श–5 को बचा हुआ बैट्रा होना बताया है। प्रदर्श क–1 के अनुसार एमरॉन बैट्री ईको कार में पहले से रखी हुई थी। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रस्तुत की गयी एमरॉन बैट्री वही बैट्री हो, जिसे अभियुक्त शहादत द्वारा वादी मुकदमा के छोटा हाथ वाहन से चुराया गया हो। पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज व पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम द्वारा अपने–अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुराई गयी बैट्री उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। वह बैट्री थाने पर है।

उपरोक्त से अभियुक्त शहादत द्वारा वादी मुकदमा के छोटे हाथी से बैट्री चुराये जाने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है तथा अभियुक्त शहादत द्वारा वादी मुकदमा मौ0 शावेज के छोटा हाथी से बैट्रा चुराये जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

31– पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज व पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के समय अभियुक्त शहादत के पकड़े जाने पर अभियुक्त मुस्तफा मौके से भाग गया था। उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत बैट्री को मात्र अभियुक्त शहादत द्वारा चोरी किये जाने का साक्ष्य उपरोक्त दोनों साक्षीगण के द्वारा दिया गया था। पी.डब्ल्यू.6 उपनिरीक्षक विकास कुमार की प्रतिपरीक्षा के अनुसार उसे पूरी विवेचना के दौरान कोई ऐसा गवाह नहीं मिला, जिसने भागे हुये व्यक्ति की मुस्तफा के रूप में पहचान करने या मौके से भागने के बारे में बताया हो। अतः यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मुस्तफा के विरूद्ध प्रश्नगत छोटा हाथी से बैट्री चोरी करने का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

तदनुसार अभियुक्तगण शहादत व मुस्तफा के विरूद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

32– मामले में अभियुक्त शहादत के विरूद्ध धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप भी विरचित किया गया है। पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज व पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त शहादत के द्वारा प्रश्नगत छोटा हाथी से बैट्री चुरायी गयी थी। यह स्थापित विधि है कि जिस व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की चोरी की जाती है, उस वस्तु की बरामदगी यदि उसी व्यक्ति से होती है, तब ऐसे व्यक्ति पर धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध नहीं बनता है। चूंकि अभियुक्त शहादत पर प्रश्नगत बैट्री को चुराये जाने का आरोप है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त शहादत के विरूद्ध धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

33– अभियुक्त शहादत पर धारा 413 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप भी विरचित किया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि घटना के समय बरामद ईको वाहन, बैट्रे व अन्य सामान किसी चोरी से सम्बन्धित होना साबित नहीं किया गया हैं। अभियोजन की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त शहादत को चोरी के किसी अन्य मुकदमे में दोषसिद्ध किया गया हो। अभियोजन की ओर से ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त शहादत चोरी की सम्पत्तियों को आदतन प्राप्त करता हो या उसमें व्यवहार करता हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त शहादत के विरूद्ध धारा 413 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

34– अभियुक्त शहादत के विरूद्ध धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप भी विरचित किया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त शहादत के द्वारा चोरी की किसी सम्पत्ति को जानबूझकर छिपाने, बेंचने या उसे व्यनित करने में सहायता की गयी हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त शहादत के विरूद्ध धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

35– अभियुक्त शहादत के विरूद्ध धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप भी विरचित किया गया है।

पी.डब्ल्यू.1 मौ0 शावेज की मुख्य परीक्षा के अनुसार अभियुक्त शहादत द्वारा छूटकर भागने का प्रयास किया गया तथा धमकी दिये जाने पर मौके पर उपस्थित भीड़ उत्तेजित हो गयी। भीड़ ने गुस्से में आकर अभियुक्त शहादत के साथ मारपीट की। इस साक्षी उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं कि अभियुक्त शहादत द्वारा वादी मुकदमा व अन्य लोगों को क्या धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.2 मौ0 असलम के साक्ष्य में अभियुक्त शहादत द्वारा घटना के समय धमकी दिये जाने का कोई कथन नहीं किया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि पी.डब्ल्यू.1 के साक्ष्य के अनुसार शहादत के धमकी देने पर उत्तेजित भीड़ ने अभियुक्त शहादत के साथ मारपीट की थी, परन्तु इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू.2 मौ0 असलम के साक्ष्य के अनुसार घटना के समय घटना स्थल पर यह साक्षी, वादी मुकदमा व आदिल उपस्थित था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि घटना स्थल पर कोई भीड़ नहीं थी। अतः अभियुक्त शहादत के द्वारा घटना के समय धमकी दिये जाने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त शहादत के विरूद्ध धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

36– उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन, अभियुक्त शहादत के विरूद्ध धारा 379, 411, 413, 414 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को तथा अभियुक्त मुस्तफा के विरूद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं। तदनुसार, अभियुक्त शहादत धारा 379, 411, 413, 414 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से एवं अभियुक्त मुस्तफा धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–16/2024 (अपराध संख्या–214/2022) में अभियुक्त **शहादत** को **धारा 379, 411, 413, 414 व 506 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोपों से एवं अभियुक्त **मुस्तफा** को धारा **379 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

वर्तमान मामले में अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण, धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में बीस–बीस हजार रूपये का एक–एक व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की एक–एक जमानत पन्द्रह दिन के अन्दर दाखिल करें।

माल मुकदमाती अपील न होने की स्थिति में बाद बीतने मियाद अपील तथा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक–30.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–30.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक